प्रेस नोट दिनाँक-29.08.2020

(1). आज दिनाँक 29.08.2020 को पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री के. सत्यनारायण द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल की उपस्थिति में पुलिस लाइन चित्रकूट का निरीक्षण किया गया।

(1). सर्वप्रथम पुलिस महानिरीक्षक महोदय को गार्द ऑफ ऑनर दिया गया।

(2). प्रतिसार निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान कोविड-19 से सम्बन्धित फाइलों को चैक किया गया।

(3). महोदय द्वारा परेड फाइल को चैक किया गया। परेड फाइल में बीट-पुस्तिका निरीक्षण के अंकन हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की प्रसंशा की गयी।

(4). स्वास्थ्य शिविर परीक्षण फाईल का अवलोकन किया गया तथा निर्देशित किया गया कि सभी पुलिस कर्मियों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवायें।

(5). जीडी एवं गणना कार्यालय का निरीक्षण किया गया। गणना कार्यालय में नियुक्त पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि समस्त पुलिस कर्मियों की डियूटी क्रम बद्ध तरीके से लगायी जाये एवं डियूटी रजिस्टर को समय-समय पर चैक किया जाये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी पुलिस कर्मी की डियूटी लगातार एक ही जगह न लगायी जाये।

(6). आर्मरी का निरीक्षण कर शस्त्रों की नियमित साफ-सफाई हेतु निर्देशित किया गया। आर्मोरर से मुठभेड़ के दौरान बरामद न हुये खोखा कारतूस की पूर्ती की प्रक्रिया की जानकारी ली गयी एवं पुराने ग्रेनेड के डिस्पोल हेतु निर्देशित किया गया।

(7). स्टोर कार्यालय में बॉड़ी प्रोटेक्टर, हेलमेट, सेनेटाइजर, मास्क व अन्य सामग्री की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी।

(8). कन्ट्रोल रुम के निरीक्षण के दौरान डायल 112 में आने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में पूछा गया एवं क्या कार्यावाही की गयी, इसकी जानकारी ली गयी। प्रतिसार निरीक्षक रेडियो को निर्देशित किया गया कि पुरानी बैटरियों का डिस्पोजल समय से कराते रहें।

(9). कोविड केयर हेल्पडेस्क का निरीक्षण किया गया। वर्तमान समय में कितने पुलिस कर्मी क्वारनटाइन/होम क्वारनटाइन है, इसकी जानकारी ली गयी एवं रजिस्टर चैक किया गया। पुलिस कर्मियों के तापमान एवं ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चैक करने हेतु प्रभारी हेल्प डेस्क को निर्देशित किया गया।

(10). निर्माणाधीन सीपीसी कैंटीन का निरीक्षण किया गया।

(11). आवासीय कालोनी का निरीक्षण किया गया एवं जिन पुलिस कर्मियों के आवास के बाहर साफ-सफाई एवं सुन्दर फुलवारी लगाये गयी है, उनको दिपावली में पुरस्कृत करने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को निर्देशित किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि अपर पुलिस अधीक्षक से प्रत्येक माह निरीक्षण कराकर आवासित पुलिस कर्मियों में से अच्छी साफ-सफाई रखने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाये।

(12). फायर स्टेशन के निरीक्षण के दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी से गाडियों के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी एवं फायर कन्ट्रोल रुम का निरीक्षण किया गया।

(13). परिवहन शाखा का निरीक्षण कर परिवहन शाखा में उपलब्ध गाड़ियो के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी एवं उनके रख-रखाव हेतु प्रभारी परिवहन को निर्देश दिये गये।

(14). बाह्य जनपद भेजे जाने वाले सम्मन के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी एवं भेजे गया सम्मन के अनुपालन की जानकारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

बाद निरीक्षण महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की उपस्थिति में पुलिस लाइन सभागार में जनपद के राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा गोष्ठी की गयी। इस गोष्ठी के

दौरान महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त थानों में शिकायतकर्ता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये तथा उनकी शिकायत को विनम्रतापूर्वक सुना जाये एवं पूर्ण प्रयास किया जाये कि पीड़ित की शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाये जिससे पीडित पूर्ण रुप से संतुष्ट हो जाये। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये पुरस्कार घोषित के लिए महोदय द्वारा प्रसंशा व्यक्त की गयी । अपराधियों जनपद में टॉप-10, गैंग तथा सक्रिय अपराधियों की विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये। अभियान चलाकर वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करें। लम्बित विवेचनाओं का निस्तारण निषपक्षरुप से गुणदोष के आधार पर कराया जाये। गैंगेस्टर अपराधियों के विरुद्ध 14(1) गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की जाये। गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह अति-उत्तम विवेनाओं का निस्तारण करने पर विवेचक को चयनित कर पुरस्कृत किया जायेगा।

निरीक्षण एवं गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री प्रकाश स्वरुप पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी लाइन्स/मऊ श्री विजयेन्द्र द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री इस्तेयाक अहमद, मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री यतीन्द्रनाथ उमराव, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, पीआरओ श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, स्टेनो श्री कमलेश राव, वाचक श्री शिवबदन सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में श्री तपेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सरैंया तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त महेन्द्र सिंह पुत्र पदुम सिंह निवासी अनचहिया पुरवा मजरा हनुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को चोरी किये 14 लेंथ सरिया के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनाँक-26.08.2020 को वादी श्री फूलचन्द्र उपाध्याय निवासी हनुवा थाना मानिकपुर द्वारा सूचना दी गयी कि उसके निर्माणाधीन मकान के बाहर से अभियुक्त (1) महेन्द्र सिंह पुत्र पदुम सिंह निवासी अनचहिया पुरवा मजरा हनुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट (2) वीरपाल पुत्र मुन्नीलाल निवासी गड़रियनपुरवा थाना मानिकपुर (3) राजकुमार पुत्र रामसनेही निवासी कपरिहापुरवा थाना मानिकपुर के द्वारा 15 लेंथ सरिया चोरी कर लिया है, इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 108/2020 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत किया गया । चौकी प्रभारी सरैंया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थे कि आज दिनाँक-28.08.2020 को चौकी प्रभारी सरैंया के नेतृत्व में टीम द्वारा अभियुक्त महेन्द्र सिंह पुत्र पदुम सिंह निवासी अनचहिया पुरवा मजरा हनुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को चोरी किये 14 लेंथ सरिया के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की ।

बरामदगीः-

14 लेंथ सरिया

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. श्री तपेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सरैंया
2. मुख्य आरक्षी सचिन कुमार
3. आरक्षी राघवेन्द्र
4. आरक्षी विवेकानन्द

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में टॉप-10, इनामिया, मफरूर/हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में चौकी प्रभारी सरैंया श्री तपेश कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा गढ़चपा से कौबरा के बीच सड़क से टावर के पास टॉप-10 अपराधी विकास सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह

निवासी गढ़चपा थाना मानिकपुर चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 110/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहास</u>

1. मु0अ0सं0 212/10 धारा 323/504/506 भादवि0 व 3(1)10
2. मु0अ0सं0 182/16 धारा 110जी सीआरपीसी
3. मु0अ0सं0 142/19 धारा 354घ/504/506 भादवि0 3(1)10
4. एनसीआर नं0 54/18 धारा 323/504/506/427 भादवि0
5. एनसीआर नं0 57/18 धारा 504/506/427 भादवि0
6. एनसीआर नं0 40/19 धारा 323/504/506 भादवि0
7. मु0अ0सं0 110/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट

<u>बरामदगीः-</u>

01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.श्री तपेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सरैंया
2. मुख्य आरक्षी सचिन कुमार
3. आरक्षी रोहित यादव

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान में दिनाँक 28.08.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना मऊ में 09 व्यक्तियों एवं थाना रैपुरा में 04 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। सभी से अपील की जाती है कि शासन के आदेशों निर्देशों का पालन करें।

(5). जनपद चित्रकूट पीआरवी 2046 थाना रैपुरा अंतर्गत दिनाँक 28/08/2020 को समय 11:36 बजे इवेंट संख्या 4732 द्वारा घटनास्थल भौरी थाना रैपुरा से कॉलर मिथलेश राजपूत (मोबाइल नंबर 8400492708)
घटना का प्रकार मिथलेश राजपूत जी ने बताया कि 400 - 500 लोग झगड़ा कर रहे है ईंट पत्थर चला रहे है कोई घायल नही है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों ने देखा कि खाद बांटने को लेकर जनता उत्तेजित होकर शोर शराबा और गाली गलौज कर रही है। पीआरवी कर्मियों द्वारा मौके पर जनता को समझाया गया और शांत करा कर लाइन में लगवाया गया और क्रम से खाद वितरण कराया गया। घटनास्थल पर थाना प्रभारी महोदय मय फोर्स के आ गये है घटनास्थल थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया।

<u>पीआरवी स्टाफः-</u>

कमांडर – मुख्य आरक्षी आशाराम
सब कमांडर - आरक्षी देव सिंह
पायलट - आरक्षी नूर मोहम्मद